संख्याः– २०२ /एक–1/रा0प0/2017

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी (नाम से)
उत्तराखण्ड।

दिनांकः 19 अप्रैल, 2017

विषय :– **राजस्व परिषद् से पत्राचार के सम्बन्ध में।**

महोदय,

प्रायः यह देखा जा रहा है कि परिषद् को प्रेषित किये जाने वाले अति महत्वपूर्ण एवं नीतिगत प्रकरण के पत्र/प्रस्ताव में स्पष्ट संस्तुति/सहमति जिलाधिकारी के हस्ताक्षरों से पत्र नहीं भेजे जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में समय–समय पर परिषदादेश संख्याः–6233/रा0प0–र0पं0/2013, दिनांक 21.10.2013, संख्याः–8543/ एक–1/2014, दिनांक 06.03.2014, पत्र संख्याः–1990/एक–1/रा0प0/2013, दिनांक 19.07.2014 एवं पत्र संख्याः–4303/एक–1/रा0प0/2013, दिनांक 15.11.2016 के द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, यह सन्तोषजनक स्थिति नहीं कही जा सकती है।

अतः आपका ध्यान उल्लिखित परिषदादेशों की ओर आकृष्ट करते हुए पुनः अपेक्षा की जाती है कि जिलाधिकारीगण उक्त परिषदादेशों में दिए गए निर्देशों का भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

(सुरेन्द्र नारायण पाण्डे)
आयुक्त एवं सचिव।

प्रतिलिपि – आयुक्त, गढ़वाल/कुमाँऊ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल को उक्त परिषदादेशों के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आयुक्त एवं सचिव।
राजस्व परिषद्।
19.4.2017

परिषदादेश संख्या– 1990 /एक–1रा0प0/2013

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उत्तराखण्ड,देहरादून।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी (नाम से)
उत्तराखण्ड।

दिनांक 19 जुलाई 2014 ।

विषय– **राजस्व परिषद से पत्राचार के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक परिषदादेश संख्या–6233/रा0प0–र0पं0/2013 दिनांक 21 अक्टूबर 2013 व संख्या–8543/एक–01/2014दिनांक 06 मार्च 2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

प्रायः यह देखने में आ रहा है कि जनपद स्तर से राजस्व परिषद को किये जाने वाले महत्वपूर्ण एवं नीतिगत प्रकरणों में पत्राचार के सम्बन्ध में उपर्युक्त परिषदादेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है व अभी भी कतिपय जिलाधिकारियों द्वारा परिषद को प्रेषित किये जाने वाले महत्वपूर्ण एवं नीतिगत विषयों से संबंधित प्रेषित पत्र/प्रस्ताव स्वयं के हस्ताक्षर से नहीं प्रेषित किये जा रहे हैं,जिससे यह ज्ञात हो पाना कठिन है कि संगत प्रकरणों में ऐसे पत्र/प्रस्ताव जिलाधिकारियों की संस्तुति/सहमति से भेजे जा रहे हैं अथवा नहीं।

अतः उक्त परिषदादेशों की ओर पुनः आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए निदेशित करना है कि जिलाधिकारीगण उक्त परिषदादेशों का अपने स्तर से अक्षरशः अनुपालन कराते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि परिषद को भेजे जाने वाले अति महत्वपूर्ण एवं नीतिगत पत्र/प्रकरण/प्रस्ताव उनकी स्पष्ट संस्तुति/सहमति एवं हस्ताक्षर से भेजे जांय। यदि अपवादस्वरूप तात्कालिकता की स्थिति में,ऐसे पत्र/प्रकरण/प्रस्ताव जिलाधिकारी से इतर अन्य अधिकारी द्वारा भेजा जाना अपरिहार्य हो ऐसे पत्र/प्रकरण/प्रस्ताव में जिलाधिकारी की संस्तुति/सहमति एवं उनके आदेशानुसार भेजे जाने का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। इसके अलावा तहसील स्तर से वित्तीय प्रकरणों,यथा धनावंटन,व्यय की सूचना के प्रस्ताव सीधे भेजे जाने की स्थिति में ऐसी सूचना/प्रस्तावों की प्रतिलिपि जिलाधिकारी को पृष्ठांकित की जानी सुनिश्चित की जाय।

अतः कृपया परिषदादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय,

(पी0एस0जंगपांगी)
आयुक्त एवं सचिव।

प्रतिलिपि आयुक्त गढवाल मण्डल पौड़ी एवं कुमायूँ मण्डल नैनीताल को परिषदादेशों के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि मण्डल स्तर से भी उक्त व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।

(पी0एस0जंगपांगी)
आयुक्त एवं सचिव।

परिषदादेश संख्याः– 8543/एक–01/2014

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

दिनांकः 06 मार्च, 2014

विषय :– राजस्व परिषद से पत्राचार के संबंध में।

महोदय,

यह देखने में आया है कि कतिपय अधिकारियों द्वारा परिषद को प्रेषित किये जाने वाले पत्र सीधे मा0 अध्यक्ष को सम्बोधित किये जा रहे हैं। यहाँ तक कि अधीनस्थ अधिकारियों/आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा बजट से संबंधित माँग पत्र सीधे मा0 अध्यक्ष को सम्बोधित किये जा रहे है। इस प्रकार सामान्य पत्र व्यवहार मा0 अध्यक्ष को सम्बोधित किया जाना अनुचित है। सामान्य पत्राचार आवश्यक रूप से आयुक्त एवं सचिव से ही किया जाना चाहिए। मात्र विशेष प्रकरणों सम्बन्धी पत्राचार ही मा0 अध्यक्ष को सम्बोधित किये जाय, जिन्हें उनके संज्ञान में लाया जाना अभीष्ट हो एवं ऐसे पत्राचार अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से ही किये जाय।

कृपया इस परिषदादेश का अनुपालन सभी स्तरों से सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(पी0एस0जंगपांगी)
आयुक्त एवं सचिव।

प्रतिलिपि आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी व कुमायूँ मण्डल, नैनीताल को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पी0एस0जंगपांगी)
आयुक्त एवं सचिव।

परिषदादेश संख्या– 6233 /रा०प०-र०-प/ 2013

प्रेषक,

अध्यक्ष,
राजस्व परिषद,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी (नाम से),
उत्तराखण्ड।

दिनांक : 21 अक्टूबर, 2013

विषय : **राजस्व परिषद से पत्राचार के सम्बन्ध में।**

महोदय,

प्रायः काफी प्रकरणों में यह देखने में आ रहा है कि जनपद स्तर से राजस्व परिषद को किये जाने वाले महत्वपूर्ण एवं नीतिगत विषयों से संबंधित प्रेषित पत्र/प्रस्ताव जिलाधिकारियों के स्वयं के हस्ताक्षर से नहीं प्रेषित किये जा रहे हैं जिससे यह ज्ञात हो पाना कठिन है कि संगत प्रकरणों में ऐसे पत्र/प्रस्ताव जिलाधिकारियों की संस्तुति/सहमति से भेजे जा रहे हैं अथवा नहीं। कई पत्र एवं प्रकरण सीधे तहसीलों से भी प्रेषित किये जा रहे हैं जिसकी प्रतिलिपि जिलाधिकारी को पृष्ठांकित नहीं की जा रही है। **वर्णित प्रक्रिया अनुचित है एवं जिसे एक स्वस्थ एवं शिष्ट परम्परा नहीं कहा जा सकता है।**

परिषद इस सम्बन्ध में यह आदेशित करते हैं कि जिलाधिकारीगण भविष्य में यह सुनिश्चित करेंगे कि परिषद को भेजे जाने वाले अति महत्वपूर्ण एवं नीतिगत पत्र/प्रकरण/प्रस्ताव उनकी स्पष्ट संस्तुति/सहमति एवं हस्ताक्षर से भेजे जायं। यदि अपवादस्वरूप, तात्कालिकता की स्थिति में, ऐसे पत्र/प्रकरण/प्रस्ताव जिलाधिकारी से इतर अन्य अधिकारी द्वारा भेजा जाना अपरिहार्य हो ऐसे पत्र/ प्रकरण/प्रस्ताव में जिलाधिकारी की संस्तुति/सहमति एवं उनके आदेशानुसार भेजे जाने का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये। तहसील स्तर से वित्तीय प्रकरणों, यथा धनावंटन, व्यय की सूचना आदि के प्रस्ताव सीधे भेजे जाने की स्थिति में ऐसी सूचना/प्रस्तावों की प्रतिलिपि जिलाधिकारी को पृष्ठांकित की जानी सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,
ह०—
(एस0के0 मुट्टू)
अध्यक्ष।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी एवं कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कि मण्डल स्तर से भी उक्त व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाय।

आज्ञा से,

(पी0एस0 जंगपांगी)
आयुक्त एवं सचिव